रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224825 CG-DL-E-30012021-224825

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] No. 401] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

का.आ. 438(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपित्त या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपित्त या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में वायनाड जिले के सुल्तान बत्तेरि और मननथावड़ी तालुका में स्थित है। अभयारण्य वायनाड वन्यजीव संभाग में 344.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह 77.76 वर्ग किलोमीटर (डब्ल्यू एस-I कहा गया) और 266.77 वर्ग किलोमीटर (डब्ल्यू एस-II कहा गया) की दो पृथक इकाईयों के रूप में हैं। बड़ी डब्ल्यू एस-II इकाई अक्षांश 11°35' उ से 11°49'उ और देशांतर 76°13'पू से 76°27' पू के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत

593 GI/2021 (1)

स्थित है; जबिक दूसरा छोटा हिस्सा (डब्ल्यू एस-I) अक्षांश 11°50' उ से 11°59' उ और देशांतर 76°02' पू से 76°7' पू के अंतर्गत स्थित है। यह अभयारण्य नीलगिरि जीवमंडल रिज़र्व (5,520 वर्ग किलोमीटर) का घटक है और दक्षिण भारत के हाथी रिज़र्व सं. 7 का महत्त्वपूर्ण घटक है;

और, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वनों और दिक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वनों का मिश्रण है जिसमें पश्चिमी घाटों की विविध वनस्पित और जीवजंतु घटकों का वास है। अभयारण की मुख्य वनस्पित में अिल्बिजिया प्रोसेरा (कुन्निवाका), एलस्टोनिया स्कॉलिरस (ज़िलमपला), डालबिर्गिया लेटिफोलिया (ईट्टी), लार्जरस्टोमिया लरंकेओलाटा (वेंथेक्कु), टेकटोना ग्रांडिस (टीक), कैसिया फिस्टुला (किन्निकोन्ना), केरिया अरबोरिया (पेजू), पिपेर निगरूम (पेप्पेर), बम्बूसा बम्बूसा (मुला), मुसा पैराडिसिक (बनाना), मंगिफेरा इंडिका (मात्रु), आनाकार्डियम आस्सिडेनटेल (कसुमावु), कोकोस नुकिफेरा (थेंग्गू), टमिरंडुस इंडिका (पुली), टर्मिनिलया पानिकुलाटा (मारुथ), आर्टोकार्पस हेटरोफिल्लुस (प्लावयू), समानिअसामान (माझावाका), अमपेलोकिस्सूस इंडिका (चेमपारावल्ली), ब्रिजेलिया रेटुसा (मुलुवेनगा), पोलील्थिया लोंगिफोलिया (अराना मराम), फिक्स रेलिगिओसा (अरस्), फिक्स बंघालेंसिस (अरायाल), गार्सिनीयगुम्मी –गुट्टा (कुडाम्पुली), करयो तौरेन्स (इरांपाना), अरेका कटेचु (कवयंगु), विटेक्स अलटिस्सिमा (मायलेल्लु), स्टाचयटरफेटा जमाइकेंसिस (कट्टुपुन्थु), लैंटाना कैमारा (अरिप्पु), ट्रेमा ओरिंटालिस (अमराथी), ग्रेविया टिल्लिफोलिया (चडाची), स्टेकुंलिया विल्लोसा (बङ्कानारुमारम), सन्तालूम एल्बम (चन्दनम), मोरिंडा पुवेस्केंस (कट्टुपुन्थान), मित्रागयान परविफोलिया (कडमबु), लक्सरा पवेट्टा (सूचीमुल्ला), हिल्दना किंडिफोलीया (मंजाकाडाम्बु), परूनस केयलानिका (नाइकाम्बग्म), जिजिफस क्यलोपरुस (कोट्टा), सेंटेल्ला असिअटिका (कोडांगल) आदि उपलब्ध हैं;

और, वायनाड वन्यजीव संभाग के वन काबानी नदी प्रणाली की सहायक नदियों के लिए मुख्य जलग्रहण क्षेत्र है। यह वायनाड पठार के पूर्वी भाग के साथ-साथ कर्नाटक के निकटस्थ मैदानी क्षेत्र का एकमात्र साधन है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों की लगभग 45 प्रजातियां. पक्षियों की 227 प्रजातियां. सरीसपों की 50 प्रजातियां. उभयचरों की 35 प्रजातियां, मछली की 80 प्रजातियां और तितलियों की 206 प्रजातियां अभिलिखित की गई है। अभयारण्य के मुख्य जीवजंत में एलिफस मैक्सिमस (एशियाई हाथी), पैंथेरा टिगरिस (बाघ), पेन्थेरा प्रज्यस (तेंदुआ), फेलिस बेंगालेंसिस (तेंदुआ बिल्ली), *एक्सिस एक्सिस* (चित्तीदार हिरण), *मुनटीक्स मुनतजक* (काकड़), ट्रागुलस मेमिना (माउस हिरण), *फेलिस चाउस* (जंगली बिल्ली), मकाका रेडिअटा (बोन्नेट मकाक), फुनाम्बुलुस ट्रिस्टीट्रस (जंगली पाल्म गिलहरी), रतुफा इंडिका (मालाबार बृहत गिलहरी), *मुस बृदुगा* (छोटा भारतीय फील्ड माउस), *हिस्ट्रिक्स इंडिका* (भारतीय क्रेस्टेड साही), लेपुस निगरिकोल्लिस (ब्लैक नेप्पेड खरगोश), सायनोप्टेरस ब्राचोटिस (लैसर डॉग फेसड फ्रूट बैट), मानिस क्रैसिकाउडाटा (भारतीय साल), *हर्पस्टेस एडुवर्डसी* (ग्रे नेवला), *विवेर्रिकुला इंडिका* (छोटा भारतीय सिविट), *सस स्क्रोफ़ा* (बनैला सूअर), सरकोगयपस कालवुस (रेड हेडेड गिद्ध), नेओफरोन पेरकनोपटेरूस (मिस्त्र का गिद्ध), ऐगयपिउस मोनाचुस (सिनेरेओउस गिद्ध), *इकुला अनेइया* (ग्रीन इंम्पेरिअल-कबुतर), अरदेया सिनेरेया (ग्रे कबुतर), *मिलवउस मिगरांस* (चील), कनेमास्पिस मोंटिकोला (माउंटेन डेय छिपकली), *हेबिउस बेड्डोमिइ* (नीलगिरी कैलबैल), *पायथन मोलुरूस* (भारतीय पायथन), *नाजा नाजा* (कोबरा), *ट्राईमेरेउसरूस मालाबरिकस* (मालाबार पिट वाईपर), *जकेराना* रूफेसेंट (रूफेसेंट मेंढक), पिस्युडोफिलाट्स वयनाडेन्सिस (जेरडोन बुश मेंढक), बारिलिउस बाकेरी (बकेर बारिल), डाविकेंसिसा फिलामेंटोसा (फिलामेंट बार्ब), *हलुदारिया मेलानामपयक्स* (मेलोन बार्ब), *पचलीओप्टा पंडियाना* (मालाबार रोज), *पापिलिओ ड्विडारूम* (मालाबार रावेन), *यूफाइया फरासेरी* (लाइडलौव) (मालाबार टोरेंट डार्ट), आदि हैं;

और, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के संकटापन्न वर्ग के अंतर्गत स्तनधारियों की 9 प्रजातियां, पिक्षयों की 6 प्रजातियां और मछिलयों की 16 प्रजातियां सूचीबद्ध की गई है। क्षेत्र की कुछ दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय प्रजातियां है जिसमें अनाफयल्लुम विघिट (केरिक्किजांगु), होपिया परिविफ्लोरा (इरुम्बागा), वाटेरिया इंडिका (पैनिमाराम), ग्लोचिडिओन जेयलानिकम (नैल्लिक्कापुली), सायनोमेतरा ट्रावनकोरिका (कोरी), डालबेर्गिया लतीफोलीया (इटी), मायरीस्टिका मालाबारिका (चोरापाली), पाइपर बारबेरी (कट्टुकुरूमुलागु), मेलिकोपे लुनु-अंकेंडा (कामबिलि), प्रटेरोस्पेरमुम रेटिकुलातुम (मालायुराम), मानिस क्रैसिकाउडाटा (भारतीय साल), एलिफस मैक्सीमस (एशियाई हाथी), पैंथेरा टिगरिस (बाघ), पेन्थेरा प्रड्यूस (तेंदुआ), बोस गौरस (गौर), श्रेसकीऑर्निस मेलनोसेफला (ब्लैक-हेडेड इबिस), अंथराकोकेरोस कोरोनाटस (मालाबार चितकबरी धनेश), जिप्स बेंगालेंसिस (वाइट-रूम्पेड गिद्ध), ओपहीओफगस हन्नह (किंग कोबरा), मिनेरवारया सहयादरेंसिस (मिनेरवारया मेढक), रहेकोफोरुस लैटरिलस (छोटा ट्री मेढक), पेडोस्टिबिस ट्यूबरकुलोसिस (मालाबार ट्री मेढक), क्लिनोटरसुस कुर्टिपेस (बाई कर्लर्ड मेढक), प्र्यूडोफिलाटुस वयनाडेन्सिस (जेरडोन वश मेढक), तोर खदरे (डेक्कन महसरे), आदि शामिल हैं:

और, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के स्थानिक जीवजंतु में स्तनधारियों की 2 प्रजातियां, पिक्षयों की 6 प्रजातियां, उभयचरों की 8 प्रजातियां और मछलियों की 49 प्रजातियां अभिलिखित की गई है; क्षेत्र की कुछ स्थानिक प्रजातियों में ओकयसरोस ग्रीसेउस (मालाबार ग्रे हार्निबिल्ल), पितृकुला कोलुम्बोइडेस (मालाबार पैराकिट), लेप्टोकोमा मिनिमा (क्रिमसोन-बाक्केड सनबर्ड), कनेमास्पिस मोन्टीकोला (मोउंटैन डे छिपकली), हेबिउस बेड्डोमेइ (नीलिगिरे कैलबैक), कलोटेस नेमोरिकोला (नीलिगिरे वन छिपकली), डराको डुस्सुमिइरि (फ्लाइंग छिपकली), उरोपेलिटस स्पा (उरपेलिटड स्नेकेस), माइक्रोहयला ओरनाटा (ओरनाटे नेर्रो-माऊथड मेंढक), रहेकोफोरस मालाबारिक्स (मालाबार ग्लाईडिंग मेंढक), यूराइओटायफलोप्स मालाबिरिक्स (मालाबार कैइसिलिअन), पेडोस्टिबेस ट्यूबरकूलोसिस (मालाबार ट्री मेंढक), नायिक्टबातराचुस ग्रांडिस (वायनाद नाइट मेंढक), इंडोस्यलिवराना औरंटिका (बोलेन्गेर गोल्डन-बैक्द मेंढक), पोलीपेडटेस आक्सिडेण्टैलिस (चारपा ट्री मेंढक), बारिलिउस बाकेरी (बाकेर बारिल), डाविकेंसिया फिलमेन्टोसा (फिलामेंट बार्ब), हलुडारिया मेलानाम्पयक्स (मेलोन बार्ब), मेसोनोइमाचेइलुस ट्राईअंगुलारिस (जोडिअक लोअच), तरोइड्स मिनोस (दक्षिण बिर्डविंग), पिपिलिओ लिओमेडोन (मालाबार बांडेड स्वाल्लोटैल), पापिलिओ बुध्धा (बुध्धा मयूर), कलटोरिस कनाराइका (कनारा स्विप्ट), गोम्फिडिया कोडागुइंसिस (कूर्ग क्लबटेल), आदि शामिल है;

और, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल का एकमात्र अभयारण्य है जहां चौसिंगा मृग को देखे जाने की रिपोर्ट की गई है। अभयारण्य में मिस्त्र गिद्ध, हिमालयन ग्रिफन और सिनेरियस गिद्धों की उपस्थिति दर्ज की गई है और गिद्धों की दो प्रजातियां अर्थात्., रेड-हेडिड और वाइट-बैकड गिद्ध, केरल में सामान्य है, जो अब वायनाड पठार तक सीमित है। नगरहोल-बांदीपुर-मुदुमलाई-वायनाड वन परिसर भी देश में सबसे महत्त्वपूर्ण बाघ वासों में से एक है कैमरा ट्रैप का उपयोग करके हाल को अनुमान ने अभयारण्य में 79 बाघों की उपस्थिति का संकेत दिया है। व्यापक रूप से उपयोगी, व्यापक अतिक्रमण, अत्यधिक खंडित और अकल्पनीय रूप से प्रबंधित वायनाड पठार के वनों के बीच, इस अभयारण्य का वन क्षेत्र अंतिम अच्छी तरह से संरक्षित अवशेषों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए, यथावत, उच्चतम क्रम के संरक्षण के योग्य हैं;

और, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के वायनाड जिले के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों 0 (शून्य) से 3.4 किलोमीटर तक विस्तारित घटते-बढते क्षेत्र को वायनाड वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 3.4 किलोमीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 118.59 वर्ग किलोमीटर है जो कि अभयारण्य के बाहर 99.5 वर्ग किलोमीटर है जिसमें डब्ल्यू एस-I क्षेत्र में उत्तर वायनाड संभाग के थिरूनेल्ली रिज़र्व वन 8.89 वर्ग किलोमीटर और डब्ल्यू एस-II क्षेत्र में दक्षिण वायनाड संभाग के चेडेलथ श्रेणी के निहित वन का क्षेत्र 17.67 वर्ग किलोमीटर शामिल है। बाकी 19.09 वर्ग किलोमीटर अभयारण्य के अंतर्गत राजस्व ग्राम है। अभयारण्य की विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया हैं:-

दिशा	डब्ल्यू एस-I (किलोमीटर)	डब्ल्यू एस -II (किलोमीटर)
उत्तर	0	0
उत्तर - पूर्व	0	0
पूर्व	0	0
दक्षिण -पूर्व	0 - 1	0

दक्षिण	0.10 -1.8	0 - 1.4
दक्षिण -पश्चिम	0.10 - 2.7	0 - 1
पश्चिम	0.25 - 2.7	0.25 - 3.4
उत्तर- पश्चिम	0 - 1	0 -1

राज्य द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार उचित ठहराया गया है कि "वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के डब्ल्यू एस-I भाग का उत्तरी क्षेत्र कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य के निकटस्थ है। इस प्रकार इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है। डब्ल्यू एस-I भाग की उत्तर-पूर्वी सीमा कर्नाटक राज्य का नगरहोले बाघ रिज़र्व है। इस दिशा में भी पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है। डब्ल्यू एस-I क्षेत्र का पूर्वी भाग नगरहोले बाघ रिज़र्व भी है, इस प्रकार पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य का डब्ल्यू एस-II क्षेत्र उत्तरी सीमा में कर्नाटक राज्य के बांदीपुर बाघ रिज़र्व है। चूंकि यह संरक्षित क्षेत्र है इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है। डब्ल्यू एस-II क्षेत्र का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कर्नाटक राज्य के बांदीपुर बाघ रिज़र्व से घिरा हुआ है। इस प्रकार पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है। डब्ल्यू एस-II क्षेत्र की दक्षिण-पश्चिम दिशा में तमिलनाडु का मुदुमलाई बाघ रिज़र्व है। इस प्रकार इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।"

- (2) वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक –I** की सारणी **क** और सारणी **ख** के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरो के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक–॥क, अनुलग्नक -॥ख** और **अनुलग्नक-॥ग** के रूप में संलग्न है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक–III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक -IV** की सारणी **क** और सारणी **ख** के रूप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;
 - (v) स्थानीय स्व सरकारी विभाग (एलएसजीडी);
 - (vi) शहरी विकास;
 - (vii) पर्यटन;

- (viii) ग्रामीण विकास;
- (ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (x) नगरपालिका;
- (xi) पंचायती राज;
- (xii) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xiii) लोक निर्माण विभाग।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थातु:-
- (1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

- (ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सिम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से बनाएं जाऐंगे कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्वंधित किया गया हो।
- (3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;
- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) प्राकृतिक विरासत.— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण.** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा ।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों के प्रावधानों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकुल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.िन 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (15) **वाहन जिनत प्रदूषण.-** वाहन जिनत प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

- (16) औद्योगिक इकाईयां.- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
- (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-
 - (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
 - (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी		
(1)	(2)	(3)		
	5	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1. वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अं निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिस मरम्मत के लिए धरती को खोदना सिम्मिल के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृह और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्र (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचि टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भार उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 200 रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फ		(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।		
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्विन, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमित नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।		
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।		

4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित प्रसंस्करण सुविधा की अनुमित नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा की अतिरिक्त स्थापना प्रतिषिद्ध है।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमति नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
	ख	r.विनियमित क्रियाकलाप
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुमित नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमित नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सिहत उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमित भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय- समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार

		गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमति होंगे।
22.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंध को छोड़कर) होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल बहिर्स्नाव का निस्सरण।	जल निकायों में उपचारित अपिशष्ट जल/बिहर्म्माव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपिशष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपिशष्ट जल बिहर्म्माव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमित होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
		ग.संवर्धित क्रियाकलाप
31.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर वायनाड या उनके प्रतिनिधि	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	विधान सभा के सदस्य (एम एल ए) सुल्तान बथेरी	सदस्य;
(iii)	विधान सभा के सदस्य (एम एल ए) मानंथवादी	सदस्य;
(iv)	जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य;

(v)	पर्यावरण विभाग, केरल सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में	सदस्य;
	काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि	
(vii)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला अधिकारी, वायनाड	सदस्य;
(viii)	सदस्य राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
(ix)	वन्यजीव वार्डन, वायनाड	सदस्य- सचिव

- 6.निर्देशन निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/100/2015-ईएसजेड-आरई] डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक- I

क. केरल राज्य में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

अभयारण्य में आर एफ के साथ-साथ राजस्व भूमि के खंड द्वारा दो ईकाईयां अलग-अलग है। कुरी चैत, सुल्तान बत्तेरि और मुथांग श्रेणियों द्वारा गठित थोल्पेट्टी श्रेणी मुख्य भाग के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है।

डब्ल्यू-एस-I की सीमा का विवरण (थोलेपेट्टी श्रेणी)

उत्तर: सीमा मोरकल्लू तक कर्नाटक राज्य में कॉफी ऐस्टेट की दक्षिणी सीमा के साथ पूर्व की ओर थोलपेट्टी-कुट्टा सड़क से आरंभ होती है।

पूर्व: इसके बाद बावली तक कर्नाटक आर एफ और केरल आर एफ के बीच अंतर-राज्यीय सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है

दक्षिण: इसके बाद शनामंगलम आर एफ की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और इसके बाद ईडाकोड आर एफ और करतीकुलम आर एफ की दक्षिणी सीमा है यह करतीकुलम के निकट करतीकुलम-बावली सड़क को काटती है।

पश्चिम: इसके बाद बेगूर आर एफ की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है यह अलाथूर आर एफ के दक्षिणी बिंदु को काटती है। इसके बाद अलाथूर आर एफ की बाहरी सीमा है और यह कुदीराक्कोडे आर एफ की सीमा को काटती है यह बेगूर से थोलपेट्टी तक मुख्य सड़क जोड़ती है और इसके बाद बेगूर से थोलपेट्टी तक मुख्य सड़क जोड़ती है और इसके बाद बेगूर आर एफ की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है यह आरंभिक बिंदु से जुड़ती है।

डब्ल्यू एस –II (कुरीचैत, सुल्तान बत्तेरि और मुथांग श्रेणियां) की सीमा का विवरण

उत्तर: सीमा बिंदु से आरंभ होती है जहां कर्नाटक और केरल आर एफ के बीच अंतर-राज्यीय सीमा के साथ पूर्व की ओर वंदीकदवू भाग में राज्य सीमा कन्नारामपुझा से कटती है जहां सीमा रामपुर नगरहोले नदी से कटती है।

पूर्व: इसके बाद नगरहोले नदी नीचे धारा प्रवाह के साथ जाती है और इसके बाद मवीनाहल्ला थोडु नीचे धारा प्रवाह के साथ जाती है यह त्रि-जंक्शन बिंदु पहुंचती है जहां केरल, कर्नाटक और तिमलनाडु की सीमाएं मिलती है। इसके बाद, तिमलनाडु और केरल की अंतर-राज्यीय सीमा के साथ जाती है यह नाराती-बेट्टा पहंचती है।

दक्षिणी: नाराती-बेट्ठा से तमिलनाडु और केरल की अंतर-राज्यीय के साथ पश्चिम की ओर जाती है यह नेनमीनाद आर एफ के पश्चिमी अंत पहुंचती है

पश्चिम: इसके बाद नेनमीनाद आर एफ की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है यह सुल्तान बत्तेरि-गुडालूर सड़क को काटती है, इसके बाद कल्लूमुक्कुकून्नु तक अलाथूर आर एफ की पश्चिम सीमा के साथ जाती है और इसके बाद कल्लूर आर एफ की बाहरी सीमा के साथ जाती है यह रामपुर आर एफ तक मिलती है और इसके बाद पुथीवीडु में वल्लुवडी से मोलनकवु तक सड़क को पार करके जाती है और इसके बाद पुलपल्ली सुल्तान बत्तेरि सड़क तक पहले पश्चिम की ओर जाकर कुप्पडी आर एफ की बाहरी सीमा के साथ जाती है और इसके बाद पी.डब्ल्यू.डी कॉलोनी (कारापुझा योजना) तक उक्त सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है और इसके बाद कोन्नाकल तक पश्चिम की ओर जाती है और इसके बाद उत्तर की ओर जाती है यह कुरीचैत आर एफ में वंदीकादाबू के आरंभिक बिंदु पहुंचती है

ख. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

डब्ल्यू एस-I की सीमा का विवरण (थोलपेट्टी श्रेणी)

उत्तर: डब्ल्यू एस-I क्षेत्र में वायनाड पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा कुट्टा के निकट केरल कर्नाटक के बीच राज्य सीमा से आरंभ होती है। डब्ल्यू एस I क्षेत्र का उत्तरी भाग कर्नाटक राज्य का ब्रह्मागिरि वन्यजीव अभयारण्य है, इस प्रकार इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।

- उत्तर-पूर्व: वायनाड वन्यजीव अभयारण्य का डब्ल्यू एस–l भाग का उत्तर-पूर्वी भाग कर्नाटक राज्य के नगरहोले बाघ रिज़र्व के साथ सीमा साझा करता है। इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार भी शुन्य है।
- पूर्व: डब्ल्यू एस–l क्षेत्र का पूर्वी भाग नगरहोले बाघ रिज़र्व के साथ भी साझा करती है, इस प्रकार इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार भी शून्य है।.
- दक्षिणी-पूर्व: डब्ल्यू एस–l क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी भाग में वायनाड पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा बावली से आरंभ होती है, जो केरल-कर्नाटक सीमा में स्थित है। सीमा चलीगधा तक दक्षिण दिशा की ओर कुरूवा नदी के साथ जाती है। इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उत्तर वायनाड संभाग के बेगूर श्रेणी के निजी क्षेत्र और सागौन बागान शामिल हैं। इस दिशा की श्रेणियों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य से एक किलोमीटर तक है।
- दक्षिण: डब्ल्यू एस-। क्षेत्र की दक्षिणी दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा चलीगधा क्षेत्र से आरंभ होती है। इसके बाद सीमा दक्षिणी-पश्चिम दिशा की ओर चलीगधा कुरूक्कनमोला सड़क के साथ जाती है और कुरूक्कनमोला पहुंचती है। इस दशा की श्रेणियों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0.10 से 1.80 किलोमीटर तक है।
- दक्षिण पश्चिम:- इस दिशा में वायनाड पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कुरक्कनमोला से आरंभ होती है और यह कुरूक्कनमोला-कट्टीकुलम सड़क के साथ जाती है। और कट्टीकुलम नगर पहुंचती है। इसके बाद यह पश्चिम दिशा की ओर कट्टीकुलम पानावल्ली सड़क के साथ जाती है और बेगूर श्रेणी के ओलिओट रिज़र्व वन और अलाथूर रिज़र्व वन के निजी क्षेत्रों और सागौन बागान को आच्छादित करते हुए पानावल्ली पहुंचती है। इस दिशा की श्रेणियों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0.10 से 2.70 किलोमीटर तक है।
- पश्चिम: सीमा पानावल्ली से आरंभ होती है और यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर पानावल्ली-अप्पाप्पारा सड़क के साथ जाती है और बेगूर श्रेणी के पानावल्ली और इडायूर वायल श्रेणी के निजी भूमि और सागौन बागान को आच्छादित करते हुए अप्पाप्पारा पहुंचती है। इस दिशा की श्रेणियों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0.25-2.70 किलोमीटर तक है।
- उत्तर-पश्चिम: सीमा अप्पाप्पारा से आरंभ होती है और यह अप्पाप्पारा-अरनाप्पारा सड़क के साथ जाती है और अरनाप्पारा जंक्शन पहुंचती है। इसके बाद यह अरनाप्पारा-नरीवकल सड़क के साथ जाती है और डब्ल्यू एस-I क्षेत्र के उत्तरी भाग में कुट्टा में अंतर-राज्यीय सीमा से मिलती है। इस दिशा की श्रेणियों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य से एक किलोमीटर तक है।

डब्ल्यू एस-॥ की सीमा का विवरण (कुरीचैत, सुल्थानबथेरी और मुथांग श्रेणियां)

- उत्तर: डब्ल्यू एस-II क्षेत्र में वायनाड पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा केरल कर्नाटक सीमा के निकट वंदीकदावू कॉलोनी से आरंभ होती है। डब्ल्यू एस-II क्षेत्र उत्तरी भाग में कर्नाटक राज्य के बांदीपुर बाघ रिज़र्व के साथ सीमा साझा करती है। इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।
- उत्तर-पूर्व: डब्ल्यू एस-II क्षेत्र का उत्तर-पूर्वी भाग बांदीपुर बाघ रिज़र्व भी है। इस प्रकार, इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।
- पूर्व: वायनाड वन्यजीव अभयारण्य का डब्ल्यू एस-II क्षेत्र का पूर्वी भाग बांदीपुर बाघ रिज़र्व के साथ भी सीमा साझा करता है। इस प्रकार इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार भी शून्य है।
- दक्षिण-पूर्व: डब्ल्यू एस-II क्षेत्र का दक्षिण-पूर्वी भाग तमिलनाडु के मुदुमलाई बाघ रिज़र्व के साथ सीमा साझा करता है। इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार भी शुन्य है।
- दक्षिण: इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा केरल तमिलनाडु सीमा में नम्बियरकुन्नू से आरंभ होती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में नम्बियरकुन्नू-चीरल सड़क के साथ जाती है। इस दिशा की श्रेणियों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य से 1.40 किलोमीटर तक है।


दक्षिण-पश्चिम: सीमा चीरल से आरंभ होती है और यह पश्चिमी भाग से चीरल नम्बीकोल्ली सड़क के साथ जाती है और नम्कीकोल्ली पहुंचती है। यहां से यह नम्बीकोल्ली-कल्लुर 67 सड़क के साथ जाती है और कल्लुर 67 में एन एच 766 पहुंचती है। इसके बाद, यह कल्लूर और नाईकेट्टी नगर को आच्छादित करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 766 के साथ जाती है और मोलनकवे पहंचती है। इसके बाद यह मोलनकवे- ओदाप्पल्लम सड़क के साथ जाती है और पझहेरी पहुंचती है। इसके बाद यह पझहेरी-सुल्तान बत्तेरि सड़क से होते हुए पश्चिमी दिशा जाती है और सुल्तान बत्तेरि नगर पहंचती है। इस दिशा की श्रेणियों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शुन्य से एक किलोमीटर तक है।

पश्चिम:

सीमा सुल्तान बत्तेरि नगर से आरंभ होती है और सुल्तान बत्तेरि पनामरम सड़क के साथ जाती है और थाझहे अरीवायल पहुंचती है। इसके बाद यह ओदाक्कुट्टी-मन्नुनदी सड़क के साथ जाती है और चेलाक्कोली पहुंचती है। चेलाक्कोल्ली से यह दक्षिण वायनाड संभाग के चेदालथ श्रेणी के नीजी क्षेत्र, सागौन बागान और प्राकृतिक वन को आच्छादित करते हुए चेलाक्कोली-इरूलम सड़क से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा में जाती है। इस दिशा की श्रेणियों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0.25-3.40 किलोमीटर तक है।


उत्तर पश्चिम: सीमा इरूलम नगर से आरंभ होती है और यह सुल्तान बत्तेरि-पुलपल्ली सड़क के साथ जाती है और चीयमबम पहुंचती है। चीयमबम से यह चीयमबम-पाराक्कादवू सड़क से होते हुए उत्तरी दिशा की ओर जाती है औ पाराक्कादवू पहुंचती है। इसके बाद, यह पाराक्कादवू-मादाप्पल्लीपारा सड़क के साथ जाती है और केरल कर्नाटक सीमा के निकट वंदीकादव कॉलोनी पहुंचती है। इस दिशा की श्रेणियों में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शन्य से एक किलोमीटर तक है।

अनुलग्नक- llक मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र




अनुलग्नक- IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



अनुलग्नक- IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र



अनुलग्नक-III

सारणी क: वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	
1	11° 57' 31.18"ਚ	76° 3' 48.64" ឬ	
2	11° 58' 0.7"ৰ	76° 5' 34.55"पू	
3	11° 58' 38.39"ਰ	76° 6' 47.84"पू	
4	11° 55' 49.33"ਰ	76° 6' 47.84" ឬ	
5	11° 53' 15.58"ਚ	76° 6' 44.82"፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟	
6	11° 51' 26.6"ਚ	76° 6' 52.96"पू	
7	11° 48' 46.73"ਚ	76° 13' 10.74"पू	
8	11° 48' 9.04"ਰ	76° 15' 0.76"पू	
9	11° 48' 36.54"ਚ	76° 16' 47.68"पू	
10	11° 46' 57.76"ਚ	76° 18' 27.47"पू	
11	11° 45' 18.97"ਰ	76° 18' 59.04"፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፟፞፞፟፟፟፟፟፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፟፟፟፟፟፟፟	
12	11° 44' 32.14"उ	76° 20' 9.31"पू	

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	बिंदु कोण	अक्षांश	देशांतर
1	1	11° 56' 30.59"ৰ	
2	2	11° 54' 47.74"ਤ	76° 2' 23.6" पू
3	3	11° 53' 20.15"ਚ	76° 1' 6.2" पू
4	4	11° 52' 19.06"ৰ	76° 2' 52.12" पू
5	5	11° 50' 35.2"ਤ	76° 3' 39.96"पू
6	6	11° 48' 40.1"ਤ	76° 5' 20.8"पू
7	7	11° 51' 14.9"ਤ	76° 7' 5.66"पू
8	8	11° 49' 0.48"ਤ	76° 12' 26.46"पू
9	9	11° 45' 45.97"ਚ	76° 11' 45.71"पू
10	10	11° 43' 21.36"ৰ	76° 11' 40.63"पू
11	11	11° 40' 39.43"ਚ	76° 12' 46.84"पू
12	12	11° 40' 2.78"ਤ	76° 15' 47.09"पू
13	13	11° 41' 30.37"ਚ	76° 16' 27.8"पू
14	14	11° 40' 29.28"ਚ	76° 17' 36.02"पू
15	15	11° 40' 6.85"ਤ	76° 18' 55.48"पू
16	16	11° 39' 44.46"ৰ	76° 20' 18.96"पू
17	17	11° 38' 31.13"ਚ	76° 19' 36.19"पू

18	18	11° 38' 8.74"ৰ	76° 18' 26.96"पू
19	19	11° 37' 21.9"उ	76° 18' 43.24"पू
20	20	11° 36' 21.82"ৰ	76° 19' 6.67"पू
21	21	11° 35' 6.43"उ	76° 19' 16.86"पू
22	22	11° 38' 0.6"ৰ	76° 21' 34.34"पू
23	23	11° 41' 50.75"ব	76° 21' 8.86 " पू

अनुलग्नक-IV क. भू-निर्देशांकों के साथ वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	जिला	तालुक	ग्राम के नाम	ग्राम के प्रकार	अक्षांश	देशांतर
1	वायनाड	मानंथवादी	थीरुनेल्ली	राजस्व	11º 55' 27.263" ਤ	75º 58' 50.567" पू
2	वायनाड	मानंथवादी	त्रिशीलेरी	राजस्व	11º 52' 24.577" ਤ	76º 4' 1.904" पू
3	वायनाड	सुल्तान बत्तेरि	पुल्पाल्लय	राजस्व	11º 49' 45.049" ਤ	76º 18' 35.466"पू
4	वायनाड	सुल्तान बत्तेरि	इरुलाम	राजस्व	11º 44' 12.020" उ	76º 13' 2.146" पू
5	वायनाड	सुल्तान बत्तेरि	किदंगानद	राजस्व	11º 43' 5.194" ਤ	76º 18' 8.003" पू
6	वायनाड	सुल्तान बत्तेरि	नूलपुज़हा	राजस्व	11º 36' 16.527" ਤ	76º 22' 1.895" पू

ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले संलग्नों की सूची

क्र.सं.	संलग्नों	श्रेणी	क्र.सं.	संलग्नों	श्रेणी
1	चेट्टियालाथूर	मुथांग	30	कल्लुमुक्कु	एस. बथेरी
2	मुथांग	मुथांग	31	मुथांग	एस. बथेरी
3	काल्लाडीकोल्लय	मुथांग	32	मरोडे	एस. बथेरी
4	कलंकाण्डी	मुथांग	33	50 अकरे	कुरीचैत
5	कुन्डूर	मुथांग	34	अम्मावायाल	कुरीचैत
6	कोलोट	मुथांग	35	गोलुर	कुरीचैत
7	काडांकोल्लय	मुथांग	36	कोम्मांचेरी	कुरीचैत
8	कुमिजि	मुथांग	37	कुरीचियात	कुरीचैत
9	मयक्कारा	मुथांग	38	मनालीमोला	कुरीचैत
10	नूलपूझा	मुथांग	39	थेन्कुझी	कुरीचैत
11	मालांकाप्पु	मुथांग	40	वाडाक्कानाद	कुरीचैत
12	कोन्नामूला	मुथांग	41	चेथालायाम	कुरीचैत
13	नजांदांकोल्ली	मुथांग	42	वेंगुर	कुरीचैत
14	पानकलाम	मुथांग	43	पुथुवेडु	कुरीचैत

			•		
15	पोनकुजि	मुथांग	44	वेट्टीक्कुट्टय	कुरीचैत
16	थाकाराप्पाडय	मुथांग	45	बेगुर 1	थोलपेट्टी
17	अलाथूर	एस. बथेरी	46	बेगुर 2	थोलपेट्टी
18	अलुम्कलाम	एस. बथेरी	47	बेगुर 3	थोलपेट्टी
19	अराकुंजी	एस. बथेरी	48	करामद	थोलपेट्टी
20	कोलुर	एस. बथेरी	49	कोट्टीयूर	थोलपेट्टी
21	कोट्टांगारा	एस. बथेरी	50	नेदुथाना	थोलपेट्टी
22	कुंदुचिरा	एस. बथेरी	51	थिरूलकुन्नु	थोलपेट्टी
23	पिलाक्कावु	एस. बथेरी	52	चेरीया नाक्केट्टय	थोलपेट्टी
24	पोंकुझी	एस. बथेरी	53	थेट्टुरोड	थोलपेट्टी
25	पुथुर	एस. बथेरी	54	नारीमुंडाकोल्ली	थोलपेट्टी
26	रामपल्लय	एस. बथेरी	55	इडाक्कोडे	थोलपेट्टी
27	वेल्लाक्कोडे	एस. बथेरी	56	कोनावायाल	थोलपेट्टी
28	ओडाप्पाल्लाम	एस. बथेरी	57	इरूम्बुपलाम	थोलपेट्टी
29	कुम्बराम्कोल्ली	एस. बथेरी			

अनुलग्नक-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें)।
- 3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की स्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
- 4. भू-अभिलेख में दृश्यमान त्रुटियों के सुधार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2021

S.O. 438(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Wayanad Wildlife Sanctuary is located in Sulthan Bathery and Mananthavady Taluka of Wayanad District in the State of Kerala. The Sanctuary is spread over an area of 344.53 square kilometres in Wayanad Wildlife Division comprising two discontinuous units of 77.76 square kilometer (called WS-I) and 266.77 square kilometres (called WS-II). The larger WS-II lies within the geographical extremes of latitudes 11°35' N to 11°49'N and longitudes 76°13' E to 76°27' E; while the other bit (WS-I) lies within latitudes 11°50' N to 11°59' N and longitudes 76°02' E to 76°7' E. The Sanctuary is a component of the Nilgiri Biosphere Reserve (5,520 square kilometres) and is a vital component of the Elephant Reserve No. 7 of South India;

AND WHEREAS, Wayanad Wildlife Sanctuary has a mix of South Indian moist mixed deciduous forests and Southern dry mixed deciduous forests which harbour diverse floristic and faunal components of Western Ghats. Major flora available in the Sanctuary are Albizia procera (kunnivaka), Alstonia scholaris (ezhilampaala), Dalbergia latifolia (eetti), Largerstomia lanceolata (venthekku), Tectona grandis (teak), Cassia fistula (kanikonna), Carreya arborea (pezhu), Piper nigrum (pepper), Bamboosa bamboos (mula), Musa paradisica (banana), Mangifera indica (maavu), Aanacardium occidentale (kasumavu), Cocos nucifera (thengu), Tamarindus indica (puli), Terminalia paniculata (maruth), Artocarpus heterophyllus (plavu), Samaniasaman (mazhavaaka), Ampelocissus indica (chemparavalli), Bridelia retusa (mulluvenga), Polyalthia longifolia (arana maram), Ficus religiosa (arasu), Ficus banghalensis (arayal), Garciniagummigutta (kudampuli), Caryo taurens (eeranpana), Areca catechu (kavungu), Vitex altissima (mylellu), Stachytarpheta jamaicensis (kattupunnuthu), Lantana camara (arippu), Trema orientalis (amarathi), Grewia tiliifolia (chadachi), Sterculia villosa (vakkanarumaram), Santalum album (chandanam), Morinda pubescens (kattapitalavam), Mitragyna parvifolia (kadambu), Ixora pavetta (soochimulla), Haldina cordifolia (manjakadambu), Prunus ceylanica (naikambagam), Ziziphus xylopyrus (kotta), Centella asiatica (kodangal), etc;

AND WHEREAS, the forests of Wayanad Wildlife Division form the major catchments for the tributaries of Kabani river system, which is the lifeline of the eastern portion of Wayanad plateau as well as adjoining plains of Karnataka. Wayanad Wildlife Sanctuary recorded about 45 species of mammals, 227 species of birds, 50 species of reptiles, 35 species of amphibians, 80 species of fish and 206 species of butterflies. Major fauna of the Sanctuary are Elephas maximus (Asian elephant), Panthera tigris (tiger), Panthera pardus (leopard), Felis bengalensis (leopard cat), Axis axis (spotted deer), Muntiacus muntjak (barking deer), Tragulus meminna (mouse deer), Felis chaus (jungle cat), Macaca radiata (bonnet macaque), Funambulus tristiatus (jungle palm squirrel), Ratufa indica (Malabar giant squirrel), Mus booduga (little Indian field mouse), Hystrix indica (Indian crested porcupine), Lepus nigricollis (black napped hare), Cynopterus brachyotis (lesser dog faced fruit bat), Manis crassicaudata (Indian pangolin), Herpestes edwardsi (grey mongoose), Viverricula indica (small Indian civet), Sus scrofa (wild boar), Sarcogyps calvus (red headed vulture), Neophron percnopterus (Egyptian vulture), Aegypius monachus (Cinereous vulture), Ducula aenea (green imperial-pigeon), Ardea cinerea (grey heron), Milvus migrans (black kite), Cnemaspis monticola (mountain day gecko), Hebius beddomei (Nilgiri keelback), Puthon

molurus (Indian python), Naja naja (cobra), Trimereusrus malabaricus (Malabar pit viper), Zakerana rufescens (Rufescent frog), Pseudophilautus wynaadensis (Jerdon's bush frog), Barilius bakeri (Baker's baril), Dawkinsia filamentosa (filament barb), Haludaria melanampyx (melon barb), Pachliopta pandiyana (Malabar rose), Papilio dravidarum (Malabar raven), Euphaea fraseri (Laidlaw) (Malabar torrent dart), etc;

AND WHEREAS, Wayanad Wildlife Sanctuary listed 9 species of mammals, 6 species of birds and 16 species of fishes under threatened category. Some rare, threatened and endangered species of the region includes Anaphyllum wightii (keerikkizhangu), Hopea parviflora (irumbaga), Vateria indica (painimaram), Glochidion zeylanicum (nellikkapuli), Cynometra travancorica (koori), Dalbergia latifolia (eeti), Myristica malabarica (chorapali), Piper barberi (kattukurumulagu), Melicope lunu-ankenda (kambili), Pterospermum reticulatum (malayuram), Manis crassicaudata (Indian pangolin), Elephas maximus (Asian elephant), Panthera tigris (tiger), Panthera pardus (leopard), Bos gaurus (gaur), Threskiornis melanocephala (black-headed ibis), Anthracoceros coronatus (Malabar pied hornbill), Gyps bengalensis (white-rumped vulture), Ophiophagus hannah (king cobra), Minervarya sahyadrensis (Minervarya frog), Rhacophorus lateralis (small tree frog), Pedostibes tuberculosus (Malabar tree toad), Clinotarsus curtipes (bicoloured frog), Pseudophilautus wynaadensis (Jerdon's bush frog), Tor khudree (Deccan Mahseer), etc;

AND WHEREAS, the endemic fauna of the Wayanad Wildlife Sanctuary recorded 2 species of mammals, 6 species of birds, 8 species of amphibians and 49 species of fishes; some endemic species of the region includes Ocyceros griseus (Malabar grey hornbill), Psittacula columboides (Malabar parakeet), Leptocoma minima (crimson-backed sunbird), Cnemaspis monticola (mountain day gecko), Hebius beddomei (Nilgiri keelback), Calotes nemoricola (Nilgiri forest lizard), Draco dussumieri (flying lizard), Uropeltis sp (urpeltid snakes), Microhyla ornata (Ornate narro-mouthed frog), Rhacophorus malabaricus (Malabar gliding frog), Uraeotyphlops malabaricus (Malabar caecilian), Pedostibes tuberculosus (Malabar tree toad), Nyctibatrachus grandis (Wayanad night frog), Indosylvirana aurantiaca (Boulenger's goldenbacked frog), Polypedates occidentalis (charpa tree frog), Barilius bakeri (Baker's baril), Dawkinsia filamentosa (filament barb), Haludaria melanampyx (melon barb), Mesonoemacheilus triangularis (zodiac loach), Troides minos (southern birdwing), Papilio liomedon (Malabar banded swallowtail), Papilio Buddha (Buddha peacock), Caltoris canaraica (Canara swift), Gomphidia kodaguensis (Coorg clubtail), etc:

AND WHEREAS, Wayanad Wildlife Sanctuary is the only Sanctuary of Kerala where sighting of four-horned antelope are reported. Presence of Egyptian vulture, Himalayan griffon and Cinereous vultures are also reported in the Sanctuary and the two species of vultures, viz., red-headed and white-backed vultures, once common in Kerala, are now restricted to the Wayanad Plateau. The Nagarhole-Bandipur-Mudumalai-Wayanad forest complex is also one of the most important tiger habitats in the country. Recent estimation of tigers using camera traps has indicated presence of 79 tigers in the sanctuary. Amidst the massively exploited, widely encroached, highly fragmented and unimaginatively managed forests of Wayanad plateau, the forest areas of this Sanctuary represent the last well protected remnants and therefore qualify for, in situ, conservation of the highest order;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Wayanad Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 3.4 kilometres around the boundary of Wayanad Wildlife Sanctuary, in Wayanad District in the State of Kerala as the Wayanad Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 3.4 kilometres around the boundary of Wayanad Wildlife Sanctuary. The total area of the Eco-sensitive Zone is 118.59 square kilometres of which 99.5 square kilometres is outside the Sanctuary which includes 8.89 square kilometres of Thirunelli Reserve Forest of North Wayanad

Division at WS-I region and 17.67 square kilometres area of Vested forest of Chedelath Range of South Wayanad Division at WS-II region. The remaining 19.09 square kilometres are the revenue villages falling within the Sanctuary. The extent of Eco-sensitive Zone at various directions of the Sanctuary are given below:

Directions	Extent towards WS-I (kilometers)	Extent towards WS-II (kilometers)
North	0	0
North - East	0	0
East	0	0
South - East	0 - 1	0
South	0.10 -1.8	0 - 1.4
South - West	0.10 - 2.7	0 - 1
West	0.25 - 2.7	0.25 - 3.4
North - West	0 - 1	0 -1

"Northern region of the WS-I part of Wayanad Wildlife Sanctuary is contiguous with Brahmagiri Wildlife Sanctuary of Karnataka State. So the extent of Eco-sensitive Zone is zero in that direction. North–eastern and eastern side boundary of WS-I part is Nagarhole Tiger Reserve of Karnataka State. The extent of ESZ is zero in those directions also.

WS-II region of Wayanad wildlife sanctuary have Bandipur Tiger Reserve of Karnataka state in the Northern boundary. Since it is a protected area; the ESZ extent is zero in that direction. North - Eastern region and eastern region of WS II region is surrounded by Bandipur Tiger Reserve of Karnataka state. So the extent of ESZ is zero. South- West direction of WS-II region is Mudhumalai Tiger Reserve of Tamil Nadu. So the extent of ESZ is zero in this direction.

- (2) The boundary description of Wayanad Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in Table A and Table B of Annexure-I.
- (3) The maps of the Wayanad Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**
- (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Wayanad Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Table A and Table B of Annexure-IV.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Local Self Government Department (LSGD);
 - (vi) Urban Development;

- (vii) Tourism;
- (viii) Rural Development;
- (ix) Irrigation and Flood Control;
- (x) Municipal;
- (xi) Panchayati Raj;
- (xii) Kerala State Pollution Control Board; and
- (xiii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by the State Government.** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
 - (1) Land use.— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Ecosensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
 - Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Ecosensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the ecotourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- **(6) Noise pollution.** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

- (7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) Bio-Medical Waste. Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Ecosensitive Zone.
- (11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management. The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste.- The e waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description		
(1)	(2)	(3)		
	A. Pro	phibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	 (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. 		
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.		
3.	Establishment of major hydro- electric project.	Prohibited.		
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.		
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.		
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and Bio-medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste is permitted within Eco-sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment or hospitals etc. is prohibited.		
7.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.		

8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
	B. Regu	lated Activities
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	 (a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.

	T	
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Ecosensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Ecosensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Pron	noted Activities
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

40.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector Wayanad or his representative	Chairman, ex officio;
(ii)	Member of the Legislative Assembly (MLA) Sulthan Bathery	Member;
(iii)	Member of the Legislative Assembly (MLA) Mananthavady	Member;
(iv)	District Panchayat President	Member;
(v)	Representative of the Department of Environment, Government of Kerala	Member;
(vi)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vii)	Kerala State Pollution Control Board, District Officer, Wayanad	Member;
(viii)	Member State Biodiversity Board	Member;
(ix)	The Wildlife Warden, Wayanad	Member-Secretary.

- **6. Terms of reference.** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7. Additional measures.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

East:

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/100/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA

The Sanctuary consists of two units separated by a chunk of revenue land as well as RF. Tholpetty Range lies in the Northwest side of the main portion constituted by Kurichiat, Sulthan Bathery and Muthanga Ranges.

Boundary description of WS-I (Tholpetty Range)

North: The boundary starts from Tholpetty-Kutta road towards East along the Southern boundary of coffee estate in Karnataka state up to Moorkallu.

East: Thence southwards along interstate boundary between Karnataka RF and Kerala RF up to Bavali.

South: Thence towards East along the Northern boundary of Shanamangalam RF and then Southern boundary of Edacode RF and Kartikulam RF till it cuts Kartikulam-Bavali road near Kartikulam.

West: Thence towards north along the Western boundary of Begur RF till it cuts the Southern point of Alathur RF. Thence along the outer boundary of Alathur RF, and till it cuts the boundary of Kudirakkode RF till it joins the main road from Begur to Tholpetty and thence Northwards along the Western boundary of Begur RF till it joins the starting point.

Boundary description of WS-II (Kurichiat, Sulthan Bathery and Muthanga Ranges)

North: The boundary starts from the point where Kannarampuzha cuts the state boundary at Vandikadavu portion towards east along the Interstate boundary between Karnataka and Kerala RF up to where Rampur Nagarhole River cuts the boundary.

Thence downstream along Nagarhole River and thence downstream along Mavinahalla thodu till it reaches the tri-junction point where the boundaries of Kerala, Karnataka and Tamilnadu meet. Thence, along the interstate boundary of Tamilnadu and Kerala till it reaches Narati-Betta.

South: From Narati-Betta towards west along interstate boundary of Tamilnadu and Kerala till it reaches western end of Nenminad RF.

West: Thence Northwards along the western boundary of Nenminad RF till it cuts the Sulthan Bathery-Gudalur Road, thence along west boundary of Alathur RF up to Kallumukkukunnu and thence along the outer boundary of Kallur RF till it meets Rampur RF and thence across the road from Valluvady to Moolankavu at Puthuveedu and thence along the outer boundary of Kuppady RF running Westwards first upto Pulpally-Sulthan Bathery Road and thence south wards along the said road upto P.W.D. colony (Karapuzha Scheme) and thence westwards upto Konnakal and thence northwards till it reaches the starting point of Vandikadavu in Kurichiat RF.

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY

Boundary description of WS-I (Tholpetty Range)

North: Northern boundary of Wayanad Eco Sensitive Zone in the WS – I Region starts at the state border between Kerala and Karnataka near Kutta. The Northern side of WS-I Region is Brahmagiri Wildlife Sanctaury of Karnataka State, so the extent of the Eco Sensitive Zone is Zero in this direction.

North-East: The North – Eastern side of WS I part of Wayanad Wildlife Sanctuary shares the boundary with Nagarhole Tiger Reserve of Karnataka state. The extent of Eco Sensitve Zone in this direction is also Zero.

East: The Eastern part of WS I region also shares its boundary with Nagarhole Tiger Reserve, so the extent of Eco Sensitve Zone in this direction is also Zero.

South-East: The Boundary of Wayand Eco Sensitive Zone in the South-Eastern part of WS-I Region starts from Bavali, which is situated at Kerala-Karnataka Border. The boundary runs along the Kuruva River towards the south direction up to Chaligadha. The Eco Sensitive Zone of this area includes private area and teak plantation of Begur Range of North Wayanad Divison. The extent of Eco Sensitive Zone in this direction ranges from zero to one kilometer.

South: The boundary of Eco Sensitve Zone in the southern direction of WS-I Region starts from Chaligadha area. Then the boundary runs along the Chaligadha – Kurukkanmoola Road towards sout-west direction and reaches Kurukkanmoola. Extent of Eco-Sensitive Zone in this direction ranges from 0.10 - 1.80 kilometer.

South-West:- The Boundary of Wayand Eco Sensitive Zone in this direction starts from Kurkkanmoola and it runs along the Kurukkanmoola-Kattikulam Road and reaches kattikulam Town. Then it runs along the Kattikkulam-Panavalli road towards the west direction and reaches Panavalli by covering the private areas and teak plantations of Oliot Reserve Forest and Alathur Reserve Forest of Begur Range. The extent of Eco Sensitive Zone in this direction ranges from 0.10 - 2.70 kilometer.

West: The boundary starts from Panavally and its runs along the Panavally-Appappara Road towards the north-west direction and reaches Appappara by covering the private land and teak plantation of Panavally and Edayur vayal region of Begur Range. The extent of Eco Sensitive Zone in this direction ranges from 0.25 - 2.70 kilometer.

North-West: The Boundary starts from Appappara and it runs along Appappara-Aranappara Road and reaches the Aranappara Junction. Then it runs along the Aranappara-Narikkal Road and meets the Interstate Boundary at Kutta in the Northern side of WS-I Region. The extent of Eco Sensitive Zone in this direction ranges from zero to one kilometer.

Boundary description of WS-II (Kurichiat, Sulthan Bathery and Muthanga Ranges)

North: Northern boundary of Wayanad Eco Sensitve Zone in the WS-II region starts at Vandikadavu Colony near to Kerala-Karnataka Border. WS-II region shares its boundary with Bandipur Tiger Reserve of Karnataka State in the Northern side. The extent of Eco Sensitve Zone in this direction is Zero.

North-East: North – Eastern side of WS II region is also Bandipur Tiger Reserve. So, the extent of Eco Sensitve Zone in this direction is also Zero.

East: The Eastern side of WS II region of Wayanad Wildlife Sanctuary also shares it's boundary with Bandipur Tiger Reserve. So the extent of Eco Sensitve Zone in this direction is also Zero.

South-East: The South – Eastern side of WS II region shares its boundary with Mudumalai Tiger Reserve of Tamil Nadu. The extent of Eco Sensitve Zone in this direction is also Zero.

South: The boundary of Eco Sensitive Zone in this direction starts from Nambiarkunnu at Kerala-Tamil Nadu Border and runs along Nambiarkunnu-Cheeral Road in the Sout-West Direction. The extent of Eco Sensitive Zone in this direction ranges from zero to 1.40 kilometer.


South-West: The boundary starts from Cheeral and it runs along the Cheeral Nambikolly Road to the western side and reaches Namkikolly. From there it runs along Nambikolly-Kallur 67 Road and reaches NH 766 at Kalloor 67. Then, it runs along National Highway 766 by covering Kallur and Naiketty Town and reaches Moolankave. Then it runs along moolankave-Odappallam road and reaches Pazhery. Then it runs to the Western direction through Pazhery-Sulthan Bathery Road and reaches Sulthan Bathery Town. The extent of Eco Sensitive Zone in this direction ranges from zero to one kilometer.

West: The boundary starts from the Sulthan Bathery Town and runs along Sulthan Bathery panamaram Road and reaches Thazhe Arivayal. Then it runs along Odakkutty-Mannundy Road

and reaches Chelakkolly. From Chelakkolly it runs to the North-West direction through Chelakkolly-Irulam road by covering private area, teak plantation and natural forest of Chedalath Range of South Wayanad Division. The extent of Eco Sensitive Zone in this direction ranges from 0.25 - 3.40 kilometer.


North-West: The boundary starts from the Irulam town and it runs along the Sulthan Bathery-Pulpally Road and reaches Cheeyambam. From Cheeyambam it runs towards the Northern direction through Cheeyambam-Parakkadavu Road and reaches Parakkadavu. Then, it runs along Parakkadavu-Madappallippara Road and reaches the Vandikadavu Colony near Kerala-Karnataka Border. The extent of Eco Sensitive Zone in this direction ranges from zero to one kilometer.

ANNEXURE- IIA
LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE- IIC

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No	Latitude	Longitude
1	11° 57' 31.18"N	76° 3' 48.64"E
2	11° 58' 0.7"N	76° 5' 34.55"E
3	11° 58' 38.39"N	76° 6' 47.84"E
4	11° 55' 49.33"N	76° 6' 47.84"E
5	11° 53′ 15.58″N	76° 6' 44.82"E
6	11° 51' 26.6"N	76° 6' 52.96"E
7	11° 48' 46.73"N	76° 13' 10.74"E
8	11° 48′ 9.04″N	76° 15' 0.76"E
9	11° 48' 36.54"N	76° 16' 47.68"E
10	11° 46' 57.76"N	76° 18' 27.47"E
11	11° 45' 18.97"N	76° 18' 59.04"E
12	11° 44' 32.14"N	76° 20' 9.31"E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No	Point code	Latitude	Longitude
1	1	11° 56′ 30.59″N	76° 3' 15.52"
2	2	11° 54' 47.74"N	76° 2' 23.6"
3	3	11° 53' 20.15"N	76° 1' 6.2"
4	4	11° 52' 19.06"N	76° 2' 52.12"
5	5	11° 50' 35.2"N	76° 3' 39.96"E
6	6	11° 48' 40.1"N	76° 5' 20.8"E
7	7	11° 51' 14.9"N	76° 7' 5.66"E
8	8	11° 49' 0.48"N	76° 12' 26.46"E
9	9	11° 45' 45.97"N	76° 11' 45.71"E
10	10	11° 43' 21.36"N	76° 11' 40.63"E
11	11	11° 40' 39.43"N	76° 12' 46.84"E
12	12	11° 40' 2.78"N	76° 15' 47.09"E
13	13	11° 41' 30.37"N	76° 16' 27.8"E
14	14	11° 40' 29.28"N	76° 17' 36.02"E
15	15	11° 40' 6.85"N	76° 18' 55.48"E
16	16	11° 39' 44.46"N	76° 20' 18.96"E
17	17	11° 38' 31.13"N	76° 19' 36.19"E
18	18	11° 38' 8.74"N	76° 18' 26.96"E
19	19	11° 37' 21.9"N	76° 18' 43.24"E
20	20	11° 36' 21.82"N	76° 19' 6.67"E
21	21	11° 35' 6.43"N	76° 19' 16.86"E
22	22	11° 38' 0.6"N	76° 21' 34.34"E
23	23	11° 41' 50.75"N	76° 21' 8.86"E

ANNEXURE-IV
A. LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF WAYANAD WILDLIFE
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No	District	Taluk	Name of Village	Type of Village	Latitude	Longitude
1	Wayanad	Mananthavady	Thirunelli	Revenue	11 ⁰ 55' 27.263" N	75 ⁰ 58' 50.567" E
2	Wayanad	Mananthavady	Thrishileri	Revenue	11 ^o 52' 24.577" N	76 ⁰ 4' 1.904" E
3	Wayanad	Sulthan Bathery	Pulpally	Revenue	11 ⁰ 49' 45.049" N	76 ⁰ 18' 35.466"E
4	Wayanad	Sulthan Bathery	Irulam	Revenue	11 ⁰ 44' 12.020" N	76 ⁰ 13' 2.146" E
5	Wayanad	Sulthan Bathery	Kidanganad	Revenue	11 ⁰ 43' 5.194" N	76 ⁰ 18' 8.003" E
6	Wayanad	Sulthan Bathery	Noolpuzha	Revenue	11 ^o 36' 16.527" N	76 ⁰ 22' 1.895" E

B. LIST OF ENCLOSURES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	. Enclosures Range Sl. No. Enclos		Enclosures	Range	
1	Chettiyalathur	Muthanga	30	Kallumukku	S.Bathery
2	Muthanga	Muthanga	31	Muthanga	S.Bathery
3	Kalladikolly	Muthanga	32	Marode	S.Bathery
4	Kalankandy	Muthanga	33	50 Acre	Kurichiyat
5	Kundur	Muthanga	34	Ammavayal	Kurichiyat
6	Kolot	Muthanga	35	Golur	Kurichiyat
7	Kadankolly	Muthanga	36	Kommanchery	Kurichiyat
8	Kumizhy	Muthanga	37	Kurichiyat	Kurichiyat
9	Mykkara	Muthanga	38	Manalimoola	Kurichiyat
10	Noolpuzha	Muthanga	39	Thenkuzhy	Kurichiyat
11	Malankappu	Muthanga	40	Vadakkanad	Kurichiyat
12	Konnamoola	Muthanga	41	Chethalayam	Kurichiyat
13	Njandankolli	Muthanga	42	Vengur	Kurichiyat
14	Pankalam	Muthanga	43	Puthuveedu	Kurichiyat
15	Ponkuzhy	Muthanga	44	Veettikkutty	Kurichiyat
16	Thakarappady	Muthanga	45	Begur 1	Tholpetty
17	Alathur	S.Bathery	46	Begur 2	Tholpetty
18	Alumkalam	S.Bathery	47	Begur 3	Tholpetty
19	Arakunji	S.Bathery	48	Karamad	Tholpetty
20	Kolur	S.Bathery	49	Kottiyoor	Tholpetty
21	Kottangara	S.Bathery	50	Neduthana	Tholpetty
22	Kunduchira	S.Bathery	51	Thirulkunnu	Tholpetty
23	Pilakkavu	S.Bathery	52	Cheriya Naikketty	Tholpetty
24	Ponkuzhy	S.Bathery	53	Thetturoad	Tholpetty
25	Puthur	S.Bathery	54	Narimundakolli	Tholpetty
26	Rampally	S.Bathery	55	Edakkode	Tholpetty
27	Vellakkode	S.Bathery	56	Konavayal	Tholpetty
28	Odappallam	S.Bathery	57	Irumbupalam	Tholpetty
29	Kumbramkolli	S.Bathery			

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 39

ANNEXURE -V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.